श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक ६/11/अन्वे./पांच/2024/ 29501-750 इन्दौर, दिनांक 30-09-2024

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2024 से न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-0-

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून,2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(सी)1-2013-अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई थी, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून, 2014) 2001= 100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है, जो दिनांक 10 जून,2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जनवरी से जून,2024 की छः माही का औसत सूचकांक 402 रहा है, अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (400) के उपर (402-400)= 02 औसत बिन्दुओं की वृद्धि अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में दिनांक 01.10.2024 से रूपये 50/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप मान.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक 10772/2024 एवं 9401/2024 आदि में दिनांक 21 मई,2024 को पारित स्थगन आदेश के परिपेक्ष्य में दिनांक 01.10.2024 से जारी दरे निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची – अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	3725	143.27	10225	393.27	393
अर्द्धकुशल	7057	271.42	4025	154.81	11082	426.23	426
कुशल	8435	324.42	4025	154.81	12460	479.23	479
उच्चकुशल	9735	374.42	4025	154.81	13760	529.23	529

अनुसूची – ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन रूपये
मजदूर	6500	250.00	3725	143.27	10225	393.27	393
पेकर, पटटी पेकर, सीपर	6705	257.85	4025	154.81	10730	412.69	413
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	8435	324.42	4025	154.81	12460	479.23	479
रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	9522	366.23	4025	154.81	13547	521.04	521
उच्चकुशल	9735	374.42	4025	154.81	13760	529.23	529
कटर्स	10155	390.57	4025	154.81	14180	545.38	545

अनुसूची – स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन रूपये
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	6500	250.00	3725	143.27	10225	393.27	393
श्रेणी एक	8435	324.42	4025	154.81	12460	479.23	479
श्रेणी दो	7057	271.42	4025	154.81	11082	426.23	426
उच्च कुशल	9735	374.42	4025	154.81	13760	529.23	529
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	9685	372.50	4025	154.81	13710	527.31	527
श्रेणी दो	9378	360.69	4025	154.81	13403	515.50	516
श्रेणी तीन	8435	324.42	4025	154.81	12460	479.23	479
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	8435	324.42	4025	154.81	12460	479.23	479
श्रेणी दो	7057	271.42	4025	154.81	11082	426.23	426

अनुसूची – क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(30 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	216.66	3725	124.17	10225	340.83	341
अर्द्धकुशल	7057	235.23	4025	134.17	11082	369.40	369
कुशल	8435	281.16	4025	134.17	12460	415.33	415
उच्चकुशल	9735	324.50	4025	134.17	13760	458.67	459

अनुसूची – द (कृषि नियोजन)

जनवरी से जून,2023 छः माही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 है, इसके पूर्व की छः माही का औसत 1152 था, जिसके कारण 28 बिन्दुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :- (30 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350	178.33	2982	99.40	8332	277.73	278

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के उपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक 01.04.2024 से 31.3.2025 तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची – ई (बीडी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	74.00	36.68	110.68

नोट – एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रूपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रूपये 68 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रूपये 53 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रूपये 62 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 137 रूपये 51 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि में श्रमिकों से 11 रूपये 62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रूपये 62 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 114 रूपये 27 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के औसत के उपर गत छःमाही में औसत सूचकांक 400 के उपर औसत 02 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची – एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	21.40.	रू. 40.25	रूपये 61.65
(ब) सुगंधित (सेंटेड)	22.00	रू. 40.25	रूपये 62.25

स्पष्टीकरण – 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुरूप प्रतिदिन रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।

2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर,2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगरे उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

3- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई,2015 को जारी एवं म.प्र.राजपत्र दिनांक 22 मई,2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की दर दिनांक 01.06.2015 से प्रभावशील की गई है।

(धनराजू एस.) 27/03/2024

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर